"सेवानिवृत्ति को जानिये"

17 सितम्बर 2015

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
इलाहाबाद

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
इलाहाबाद

"सेवानिवृत्ति को जानिये"

आनंद कुमार द्विवेदी
मुख्य कार्मिक अधिकारी
कोर, इलाहाबाद

महेश मंगल
महाप्रबंधक
Mahesh Mangal
GENERAL MANAGER

प्रधान कार्यालय:
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
इलाहाबाद- 211001
Headquarter Office:
Central Organisation for
Railway Electrification
Allahabad-211001
BSNL: 2407551 (off)
Fax : 0532-2407150
e-mail:gm@core.railnet.gov.in

संदेश

मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा सप्ताह समारोह के दौरान "सेवानिवृत्ति को जानिये" नामक पुस्तिका का हिन्दी में प्रकाशन किया जा रहा है । इस पुस्तिका में सेवानिवृत्ति से संबंधित जानकारियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि रेल कर्मचारियों को विषय से संबंधित सभी सूचनायें एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से यह पुस्तिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।

उपरोक्त संकलन का प्रयास वास्तव में उल्लेखनीय है जिसके लिये मैं श्री आनन्द कुमार द्विवेदी, मुख्य कार्मिक अधिकारी व उनके सहयोगियों को बधाई देता हूँ जिनके योगदान से यह लाभप्रद व रचनात्मक संकलन बहुत ही कम समय में तैयार किया गया ।

(महेश मंगल)
महाप्रबन्धक

आभार

सेवानिवृत्ति हम सभी के लिये जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है । कर्मचारियों के लिये सामान्यत: सेवानिवृत्ति की तिथि सेवा में आने के पहले दिन से ही निश्चित हो जाती है । सभी के जीवन में अपने उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं । यही उद्देश्य व लक्ष्य हमारे लघु, मध्यम या दीर्घकालीन अवधि के कार्य-कलापों को प्रभावित करते हैं । अत: सेवानिवृत्ति की समय सीमा महत्वपूर्ण हो जाती है । भविष्य की योजनाओं को बनाने में हमें सेवानिवृत्ति से होनें वाले लाभ व उनका भावी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी जानकारी आवश्यक है । इस विषय से संबंधित कार्यालयों व उनके कर्मचारियों को भी इन नियमों की जानकारी व अच्छी समझ आवश्यक है जिससे सेवानिवृत्ति के मामलों का निपटारा शीघ्रता से तथा समय पर हो सके ।

इसी प्रयास में इस पुस्तिका में सेवानिवृत्ति से संबंधित जानकारी व नियमों को सरल भाषा मे संकलन कर प्रस्तुत किया जा रहा है । यह विदित हो कि यह विषय बहुत बड़ा है । इस विषय पर मोटी-मोटी किताबें लिखी जा सकती है । अत: कर्मचारियों की सामान्य जानकारी के लिये विभिन्न नियमों को संक्षेप में यहां संकलित कर प्रस्तुत किया जा रहा है । यह प्रयास श्री महेश मंगल, महाप्रबंधक/ कोर की प्रेरणा व प्रोत्साहन का परिणाम है जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ । मैं श्री कर्ण सिंह, मुख्य कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे तथा उनकी पूरी टीम का भी बहुत आभारी हूँ जिनके महत्वपूर्ण सुझाव व प्रूफ रीडिंग इस पुस्तिका की विश्वसनीयता व उपयोगिता बढ़ाने में सहायक रही । मैं श्रीमति शशि, वरिष्ठ आशुलिपिक/ कार्मिक विभाग/ कोर को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होने कड़ी मेहनत व लगन से टंकण का कार्य कुशलता से संपन्न किया । इस संकलन में कोशिश की गई है कि सभी नवीनतम निर्देशों को इसमे शामिल किया जाये, परन्तु अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो सकती है । अत: अनुरोध है कि प्रस्तुत संकलन में कोई निर्देश शामिल होने से रह गये हैं या कोई त्रुटि रह गई है तो उसे मेरे या कार्मिक विभाग के ध्यान में लाया जायेगा जिससे संशोधन किया जा सके व सभी उससे लाभान्वित हो सकें ।

आनन्द कुमार द्विवेदी
मुख्य कार्मिक अधिकारी
कोर, इलाहाबाद

प्रस्तावना

सेवा निवृत्ति मेरे लिए क्या है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सभी विचार करने की आवश्यकता है । इसके कुछ संभावित उत्तर निम्न रुप से हो सकते है परन्तु ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग या बिलकुल ही अलग होगें :-

(i) मै अपनी पसंद का कार्य करना चाहता हूँ ।
(ii) आर्थिक स्वतंत्रता ।
(iii) अपने जीवन के मूल्यों व लक्ष्यों को पाना चाहता हूँ ।
(iv) जरुरतमंद लोगो के जीवन में बदलाव लाने के लिए सहयोग करना चाहता हूँ आदि ।

इसी तरह **सेवा निवृत्ति क्यों**, यह जानना आवश्यक है जिससे हम अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से बना सके । हमारे सामने नीचे दी गई कुछ या अन्य परिस्थितियां हो सकती है :-

(i) मै आगे कार्य करने में अक्षम हूँ या आगे कार्य नहीं करना चाहता ।
(ii) अन्य कुछ कार्य करना चाहता हूँ।
(iii) मेरी रुचि के अनुसार अब मै लिखना/गाना/घूमना/पेंटिग आदि में पूरा समय लगाना चाहता हूँ।
(iv) अपने खराब स्वास्थ्य के कारण आदि ।

इसी क्रम में **सेवा निवृत्ति कब** भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है :- इसके जबाब के लिए कुछ विचार ऐसे हो सकते है :-

- जब मेरा पैसा मेरे लिए कार्य करना शुरु कर दे ।
- मेरी वित्तीय देनदारियां और जिम्मेदारियां समाप्त है ।
- मेरी संपत्ति और इससे होने वाली आय मेरे खर्चो, देनदारियों व जिम्मेदारियां से अधिक है ।
- पर्याप्त निष्क्रिय आय जैसे रायल्टी, किराया आदि ।
- पैसों के लिए कार्य करने की जरुरत नही आदि ।

अगर हम समय से अपने लिये उपरोक्त प्रश्नो पर चिंतन करते है तो निश्चित ही अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात के समय को भी सुनहरा बनाने में सफल होंगे । एक कर्मचारी के रुप में सेवा में सेवा निवृत्ति से संबंधित हमारी योजनायें सीमित हो सकती है । अत: भविष्य की योजनाओं बनाने में अपनी सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभों व अन्य जानकारी का अच्छी तरह समझना अत्यंत जरुरी है । आगे के पृष्ठो पर इस विषय पर जानकारियां संकलित की गई है आशा है सभी को ये आवश्यक लाभ लेने में मदद करेंगी ।

सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ
1.	सेवानिवृत्ति के प्रकार	1
2.	सेवानिवृत्ति लाभ तथा सुविधायें	2-3
3.	अर्हक सेवा (Qualifying Service)	4
4.	पेंशन	5-6
5.	नयी पेंशन योजना	6-7
6.	कुटुंब पेंशन	7-8
7.	पेंशन का सांराशिकरण (Commutation)	9-10
8.	मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति उपदान (DCRG)	10-11
9.	समूह बीमा योजना (GIS)	11-12
10.	राज्य रेल भविष्य निधि (SRPF)	12
11.	अवकाश नकदीकरण	12-13
12.	समग्र ट्रांसफर अनुदान (Composite Transfer Grant)	13
13.	रेल कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (RELHS)	13-14
14.	मानार्थ, सैटेलमेंट एवं विशेष पास	14-15
15.	सतत परिचर भत्ता (Constant Attendant Allowance)	15
16.	अंतिम संस्कार अग्रिम (Funeral Advance)	15
17.	रेलवे विश्राम गृह/ अवकाश गृह	15
18.	गोल्ड प्लेटेड मेडल	16
19.	रेल आवास रोकने की सुविधा	16
20.	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति	16
21.	सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना के सूत्र एवं नमूने	17-18
22.	सेवानिवृत्ति से संबंधित अन्य जानकारी, सावधानियां तथा जांच बिंदु	19-20
23.	पेंशन भोगियों के लिये वित्त योजना व निवेश	21-22

1. सेवानिवृत्तिः-

1.1 प्रकार

(i) 60 वर्ष की आयु सीमा पर सेवानिवृत्ति
(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
(iii) अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत
  (a) निष्कासन (Removal)
  (b) पदच्युति (Dismissal)
  (c) अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory retirement)
(iv) मृत्यु
(v) त्याग पत्र
(vi) नि:शक्तता
(vii) तकनीकी त्यागपत्र (सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में सेवा हेतु)
(viii) लार्सजेस (LARSGESS) योजना

1.2 सामान्यत: एक रेल कर्मचारी माह के अंतिम दिन (दोपहर बाद) सेवानिवृत होता है जिस माह में वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है । अगर कर्मचारी का जन्म दिन माह की पहली तारीख हो, तो वह उस माह के पिछले माह की अंतिम तारीख को दोपहर बाद सेवानिवृत्त होगा ।

1.3 सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि पर कर्मचारी अगर निलम्बन में चल रहा है तो भी वह उसी निर्धारित तिथि में सेवानिवृत्त होगा और अनुशासन व अपील नियम के अनुसार जांच आदि व अन्य कर्यवाही जारी रहेगी ।

1.4 अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति की तारीख को कर्मचारी का कार्य दिवस माना जाता है । ऐच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की स्थिति मे सेवानिवृत्ति के दिन को कार्यदिवस में शामिल नहीं मानते है ।

1.5 अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के लिये निर्धारित तिथि के संबंध में कर्मचारी के लिये किसी आदेश को जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा न ही कर्मचारी का यह कथन कि उसे उसकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की जानकारी नहीं है/ थी, स्वीकार्य होगा । अगर कर्मचारी किसी भी कारण से 60 वर्ष के बाद भी अपनी सेवा जारी रखता है तो 60 वर्ष के बाद की गई अतिरिक्त सेवा को अवैध माना जायेगा । इस दौरान उसे अगर कोई वेतन भत्ता आदि प्राप्त हुआ है तो उसकी भी वसूली की जायेगी ।

1.6 लार्सजेस स्कीम (LARSGESS) के तहत संरक्षा कोटि पदक्रम वेतन 1800 एंव 1900 में कार्यरत कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है ।इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उसके पुत्र/ पुत्री को नौकरी प्रदान की जाती है एंव कर्मचारी को सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाता है।

(क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु ग्रेड पे 1800 में कार्यरत कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निम्न शर्ते निर्धारित की गई है।
  (i) कर्मचारी की आयु 50 से 57 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  (ii) संरक्षा कोटि में 20 वर्ष की अर्हक सेवा होनी चाहिए।
  (iii) आवेदित पद में अन्तिम 10 वर्ष से सेवारत होना चाहिए।

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु ग्रेड पे 1900 में कार्यरत कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निम्न शर्ते निर्धारित की गई है।
  (i) कर्मचारी की आयु 55 से 57 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  (ii) संरक्षा कोटि में 33 वर्ष की अर्हक सेवा होनी चाहिए।
  (iii) आवेदित पद में अन्तिम 10 वर्ष से सेवारत होना चाहिए।

2. सेवानिवृत्ति के लाभ तथा सुविधायें :-

रेल कर्मचारी को एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पश्चात मिलने वाले विभिन्न लाभ व सुविधायें निम्नलिखित है :-

(i) भविष्य निधि
(ii) सेवनिवृत्ति उपदान / मृत्यु उपदान
(iii) समूह बीमा योजना
(iv) पेन्शन
(v) पेन्शन का सांराशिकरण **(स्वेच्छिक)**
(vi) कुटुंब पेन्शन
(vii) अवकाश नकदीकरण
(viii) समग्र ट्रांसफर अनुदान
(ix) मानार्थ /विधवा/ सेटेलमेंट/किट पास
(x) रेल कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (RELHS) **(अनिवार्य)**
(xi) नियत चिकित्सा भत्ता
(xii) सतत् परिचर भत्ता
(xiii) अंतिम संस्कार अग्रिम
(xiv) गोल्ड प्लेटेड चांदी का मेडल
(xv) अवकाश गृह (हॉलीडे होम्स)/ विश्राम गृह (रेस्ट हाउस)
(xvi) सेवा के दौरान मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति
(xvii) रेल आवास रोकने की सुविधा

कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के प्रकार व पूर्ण की गई अर्हक सेवा के आधार पर उपरोक्त सूची मे से सेवानिवृत्ति लाभ पेंशनर्स के लिये स्वीकार्य होगें ।

2.3 विभिन्न स्थितियों एवं सेवानिवृत्ति के प्रकारों के लिये देय लाभ नीचे दिये हुये टेबल में दर्शाये गये हैं तथा संबंधित जानकारी आगे के पैरा में उपलब्ध करायी गयी हैं ।

क्र.सं.	लाभ	सेवानिवृत्ति 60 वर्ष (अर्हक सेवा >10 वर्ष)	स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (अर्हक सेवा >20 वर्ष)	मृत्यु	निष्कासन पदच्युति	त्याग पत्र	अनिवार्य सेवा-निवृत्ति	नि:शक्तता
1.	भविष्य निधि	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	मृत्यु- सह-सेवनिवृत्ति उपदान	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
3.	समूह बीमा योजना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	पेन्शन	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗
5.	पेन्शन का संाराशिकरण (स्वेच्छिक)	✓	✓	✗	✗	✗	✓ **	✓
6.	क्षतिपूर्ति/ नि:शक्तता पेंशन	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
7.	अनुकम्पा भत्ता	✗	✗	✗	✓ #	✗	✗	✗
8.	कुटुंब पेन्शन	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
9.	अवकाश का नगदीकरण	✓	✓	✓	✗	✓ *	✓	✓
10.	समग्र ट्रांसफर अनुदान	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
11.	मानार्थ पास	✓	✓	✓	✗	✗	✓ **	✓ **
12.	विधवा पास	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
13.	सेटिलमेंट पास	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
14.	रेल कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (RELHS)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
15.	सतत् परिचर भत्ता	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
16.	अंतिम संस्कार अग्रिम	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
17.	गोल्ड प्लेटेड चॉदी का मेडल	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
18.	रेलवे के अवकाश गृह/ विश्राम गृह	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
19.	रेलवे आवास रोकना	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
20.	अनुकंपा नियुक्ति	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति की स्थिति में ।

** अगर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्वाह/ अनुकंपा भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

* जमा छुट्टियों का आधा ।

3. अर्हक सेवा (Qualifying Service) :-

3.1 सेवानिवृत्ति के लाभों की स्वीकृति व गणना करने के लिये अर्हक सेवा महत्वपूर्ण पैमाना है । कर्मचारी द्वारा पूर्ण की गई रेलवे सेवा को पूर्ण की गयी छः माही सेवा की संख्या के आधार पर की जाती है । अर्थात् किसी ने अगर 10 वर्ष की पूर्ण सेवा की है तो उसकी 20 छः माही की ' अर्हक सेवा' मानी जायेगी ।

3.2 अर्हक सेवा की गणना के लिये कर्मचारी द्वारा पूर्ण की गई निम्नलिखित सेवाओं की अवधि को शामिल किया जाता है ।

(i) रेलवे में लगातार सेवा ।
(ii) पूर्व मे की गई केन्द्र/ राज्य सरकार की सेवा ।
(iii) मिलिट्री सेवा जो रेलवे में आने से पहले पूरी की हो ।
(iv) किसी कंपनी/ या रेलवे मे की गयी सेवा जिसका भारतीय रेल ने अधिग्रहण कर लिया हो व रेलवे में अपनी सेवा जारी रखी हो ।
(v) सेवा में आने के पूर्व का प्रशिक्षण जिसके तुरंत बाद चयनित पद पर नियुक्ति या सेवा के दौरान दिया गया प्रशिक्षण । परन्तु 18 वर्ष की आयु से पूर्व की गई सेवा अर्हक सेवा नही मानी जायेगी ।
(vi) स्वीकृत कार्य- ग्रहण की अवधि ।
(vii) देश/ विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि बशर्ते की विदेश सेवा योगदान राशि (FSC) का भुगतान नियोक्ता द्वारा या स्वयं कर्मचारी द्वारा किया गया हो
(viii) सेवा के दौरान ली गई स्वीकृत छुट्टियां । इसमे 'आसाधारण छुट्टी' (EOL) की अवधि भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद शामिल की जा सकती है ।
(ix) निलंबन की अवधि यदि कर्मचारी को जांच आदि के बाद बिना किसी दंड के छोड़ दिया गया हो या लगाये गये आरोपों को वापस ले लिया गया हो । अन्य स्थितियों में निलंबन की अवधि शामिल की जायेगी यदि सक्षम अधिकारी ने जिन्होंने निलंबन समाप्त किया हो स्पष्ट रुप से आदेश दिया हो कि निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा में शामिल किया जाये या निलंबन की अवधि को आन ड्यूटी या छुट्टी पर मानने का स्पष्ट आदेश हो ।
(x) अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के पश्चात एवं नियमितिकरण से पूर्व आकस्मिक कामगार के रुप में की गई सेवा का आधा तथा एवजी कामगार के रुप में की गयी पूर्ण सेवा अर्हक सेवा मानी जाती है ।

3.3 अर्हक सेवा की गणना छः माही की संख्या में अर्हक सेवा की अवधि के अनुसार निम्न आधार पर निश्चित की जाती है :-

अवधि	पूर्ण छःमाही की संख्या
3 माह से कम	कुछ नही
3 माह या अधिक परन्तु 9 माह से कम	एक (छःमाही)
9 माह या अधिक	दो (छःमाही)

अतः 16 वर्ष 9 माह की अर्हक सेवा को 17 वर्ष अर्थात् 34 छः माही माना जायेगा ।

4. **पेंशन :-**

4.1. पेंशन, सेवा निवृत्ति के लाभों में से सबसे महत्वपूर्ण लाभ है । यह मासिक लाभ कर्मचारी को पूरे जीवन भर लगातार प्राप्त होता है । रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन सरकारी कर्मचारी का हक है जो वह अपनी पसीने की कमाई से अर्जित करता है । अत: पेंशन पर कर्मचारी का वैधानिक, अपरिहार्य/ अहस्तान्तरणीय व कानूनी हक है । देश में पेंशन की योजना 1957 में लागू की गई । 16 नवम्बर 1957 से यह सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य बनाई गयी । अत: दिनांक 16 नवम्बर 1957 से 31 दिसम्बर 2003 तक सेवा में नियुक्त सभी कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

4.2 दिनांक 01 जनवरी 2004 को या उसके बाद की नियुक्ति वाले कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के अन्तर्गत आते हैं ।

4.3 अर्हक सेवा के 20 वर्ष (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति)/ 10 (सेवानिवृत्ति) वर्ष पूरे करने पर कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है । पिछले 10 माह के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों का 50% या सेवानिवृत्ति के अंतिम माह की परिलब्धियाँ का 50% इनमें से जो भी कर्मचारी के लिये ज्यादा लाभकारी हो, की दर से पेंशन देय होती है । **पूर्ण पेंशन के भुगतान के लिये पूर्व में 33 वर्ष की पूर्ण अर्हक सेवा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है ।**

4.4. **पेंशन के प्रकार:-**

(i) सेवानिवृत्ति पेंशन- यह लाभ कर्मचारी को सरकारी सेवा में कार्य करते हुये 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के पश्चात दी जाती है ।

(ii) स्वच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन- यह पेंशन कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्ति होने पर देय होती है । इसके लिए अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है ।

(iii) नि:शक्तता पेंशन (Invalid Pension)- कोई भी कर्मचारी अगर किसी संक्रामक रोग, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण स्थाई रुप से कार्य करने में अक्षम हो जाने पर सेवानिवृत्ति प्राप्त करता है तो वह नि:शक्तता सेवानिवृत्ति का हकदार होता है । इसकी स्वीकृति के लिए कर्मचारी को मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होता है ।

(iv) क्षतिपूर्ति पेंशन- यह पेंशन कर्मचारी को उस स्थिति में देय हैं जब उसे उसके स्थाई पद की समाप्ति के कारण सेवा से मुक्त किया जाता है । यह सेवा मुक्ति तभी सम्भव है जब कि कर्मचारी को उसके वर्तमान पद के समकक्ष दूसरा पद देने के लिए उपलब्ध न हो । कर्मचारी को दूसरे समकक्ष पद को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प रहता है । स्वीकार करने पर कर्मचारी की पिछली सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ के लिये अर्हक सेवा की गणना में शामिल किया जायेगा ।

(v) अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन- कर्मचारी को जब अनुशासन एवं अपील नियमो के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया जाता है, तब यह पेंशन, दंड देने में सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृत की जा सकती है ।

(vi) अनुकम्पा भत्ता/ अनुग्रहपूर्ण एक मुश्त मुआवजा- यह मुआवजा (एक मुश्त), निष्कासित/ पदच्युत किये गये कर्मचारी को देय होता है । दंड देने वाले सक्षम अधिकारी को इस मुआवजे की राशियां निर्धारित करना होता है अर्थात अनुकम्पा भत्ते की स्वीकृति सक्षम अधिकारी पर निर्भर है । परन्तु यह राशि पेंशन या ग्रेच्युटि या दोनो का दो तिहाई हिस्से से ज्यादा नही हो सकती ।

4.5. निष्कासित या पदच्युत कर्मचारी सामान्य पेंशन या मृत्यु सह सेवा उपदान के हकदार नहीं होते ।

4.6. पहले बताये अनुसार 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करते ही कर्मचारी नियमानुसार पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है । जिस कर्मचारी की 10 वर्ष से कम की अर्हक सेवा होगी वह पेंशन प्राप्त नही कर सकेगा परन्तु उसे सेवानिवृत्ति उपदान अवश्य मिलेगा ।

4.7. पेंशन की गणना हेतु औसत परिलब्धियां कर्मचारी द्वारा पिछले 10 माह का मूल वेतन + ग्रेड वेतन के आधार पर निकाला जाता है । अगर कर्मचारी अंतिम 10 माह या 10 माह से कम समय के लिये अनुपस्थित या असाधारण छुट्टी पर अथवा निलंबित रहा है तो ये समय अंतिम 10 माह से कम करके उससे पूर्व की परिलब्धियो को गणना के लिये लेगें ।

4.8. बढ़ती उम्र के साथ 80 वर्ष की आयु से क्रमबद्ध पेंशन में बढोतरी निम्न आधार पर पेंशनर्स को देय होती है :-

80 वर्ष से	<85 वर्ष - बेसिक पेंशन का		20%
85 -	<90 वर्ष -	,,	30%
90 -	<95 वर्ष -	,,	40%
95 -	<100 वर्ष -	,,	50%
100 या अधिक वर्ष	-	,,	100%

4.9. **पेंशन से संबंधित अन्य सामान्य जानकारी व सावधानियां :-**

(i) पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंक से ली जा सकती है । पेंशन का भुगतान रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार संबंधित राज्यों द्वारा चिन्हित बैंक के द्वारा ही किया जायेगा ।

(ii) पेंशन की दर कम से कम रु. 3500 तय की गई है ।

(iii) अगर शासकीय कारणों से पेंशन या ग्रेच्युटी के अंतिम निर्धारण में देरी हो तो अस्थायी रुप से प्राविजनल पेंशन व ग्रेच्युटि देय होती है ।

(iv) सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में अन्य कोई नौकरी न करने/ या करने का प्रमाण पत्र तथा जीवित होने का प्रमाण पत्र जो कि राजपत्रित अधिकारी एवं स्वयं द्वारा प्रमाणित हो जमा करना होता है । बैंक में आनलाइन आधार कार्ड से जोड़ने पर बैक को जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती ।

4.10. केन्दीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार पेंशन भोगी का भविष्य में अच्छा आचरण एक महत्वपूर्ण शर्त है । इस नियम की अवहेलना पर पेंशन का कुछ या पूरा ही हिस्सा रोका जा सकता है या पूर्णरुप से वापस लिया जा सकता है । जब भी कोई पेंशन भोगी अदालती आदेश द्वारा गम्भीर अपराध के लिए जिम्मेदार घोषित होता है या सेवानिवृत्ति के बाद गम्भीर गैर जिम्मेदाराना आचरण या लापरवाही की स्थिति मे या पुन: रोजगार के दौरान गम्भीर आरोप सिद्धि की स्थिति में पेंशन रोकने का/ स्थगित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है । अत: केवल विशाष परिस्थितियों मे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति उपरान्त ही पेंशन से कटौती/ पेंशन बन्द की जा सकती है ।

5. **न्यू पेंशन स्कीमः-**

भारत सरकार ने परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को हटाते हुये केन्द्र सरकार की सेवा में दिनांक 01.01.2004 को या इसके बाद में आने वाले कर्मचारियों के लिए जिसमें सशस्त्र बल शामिल नहीं है एक नई पुनर्सरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरु की है ।

इस नई प्रणाली के दो भाग है :-

(i) टीयर-1 (ii) टीयर-।।

5.1. **टीयर-।-** प्रणाली 01 जनवरी-2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों के सिवाय) के लिए अनिवार्य होगी । इसमें कर्मचारी द्वारा मासिक अंशदान वेतन + ग्रेड वेतन तथा महगाई भत्ते का 10% होगा । यह अंशदान कर्मचारी द्वारा होगा । केन्द्र सरकार द्वारा भी समतुल्य अंशदान होगा । यह टीयर-। प्रणाली गैर- आहरण योग्य पेंशन प्रणाली है । इस प्रणाली के अन्तर्गत इसे कर्मचारी 60 वर्ष की आयु या उसके बाद छोड़ सकता है । छोड़नें के समय कर्मचारी को अनिवार्य रुप से वार्षिकी खरीदने (IRDA से नियन्त्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिये पेंशन राशि का 40% निवेश करना आवश्यक होगा । वार्षिकी से सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता एवं उसके पति/ पत्नि के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था होगी ।

कर्मचारी को पेन्शन की शेष राशि एक मुश्त राशि के रुप में प्राप्त होगी, जिसे वह किसी भी तरह उपयोग के लिए स्वतंत्र होगा । अगर कर्मचारी यह प्रणाली 60 वर्ष के पूर्व छोड़ता है तो इस स्थिति में अनिवार्य वार्षिकी पेन्शन राशि का 80% होगी ।

5.2. **टीयर-।।-** प्रणाली विकल्प के आधार पर कर्मचारी ले सकेगा । यह लेखा आहरण योग्य होगा । सरकार द्वारा इस खाते में कोई अंशदान नहीं होगा । कर्मचारी किसी भी समय द्वितीय टीयर लेखा से जमा राशि को अंशत: या पूर्णरुप से निकासी करने के लिए स्वतन्त्र होगा । इस आहरण लेखे से पेंशन निवेश नहीं हो सकेगा । तथा इस पर कोई विशेष कर नहीं लगेगा । इस प्रणाली के लिये सरकार द्वारा नामित एक केन्द्रीयकृत रिकार्ड रख-रखाव तथा लेखाकरण (सी.आर.ए.) आधार ढांचा तथा अनेक पेंशन निधि प्रबंधक (पी.एफ.एम.) होगें । ये एजेंसियां विभिन्न स्कीमों की तीन श्रेणियां क,ख और ग विकल्प के रुप में कर्मचारियों के लिये पेश करेंगी ।

6. **कुटुंब पेंशनः-**

6.1. जब किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु

(i) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात् हो जाती है, या
(ii) एक वर्ष की लगातार सेवा के पहले मृत्यु परन्तु सेवा या पद पर नियुक्ति के पूर्व उसका चिकित्सा परीक्षण हुआ था तथा वह उसमें सफल रहा था, या
(iii) सेवा से निवृत्त होने के बाद मृत्यु होती है और वह मृत्यु की तारीख तक वह नियमानुसार पेंशन या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा था ।

6.2. पैरा 6.1 में उल्लेखित उपरोक्त स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा के तहत मृतक कर्मचारी के पारिवारिक आश्रित को, कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1-1-1964 के अधीन कुटुम्ब पेंशन देय होगी । इसकी न्यूनतम सीमा 3500 रु0 और अधिकतक सीमा 27000 रु0 प्रतिमास के अधीन मूल वेतन के 30% की समरुप दर पर देय होगी ।

6.3. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में परिवार के आश्रित को बढ़ी हुई कुटुंब पेन्शन पेंशनभोगी के सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन का 50% + मंहगाई राहत देय होगी । परन्तु यह बढ़ी हुई पेंशन पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति की तिथि से सात वर्ष तक ही देय हो सकती है । अगर कोई कर्मचारी अगस्त 2015 में सेवानिवृत हुआ है तो उसकी मृत्यु की स्थिति में बढ़ी हुई पेंशन केवल अगस्त 2022 तक ही देय होगी, चाहे कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात कभी भी हुई हो । अर्थात अगस्त 2022 के बाद मृत्यु होने पर आश्रित को सामान्य दर पर ही कुटुंब पेंशन मिलेगी ।

6.4. सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बढ़ी हुई दर से मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक देय होती है । यह बढ़ी हुई दर, कर्मचारी की अंतिम परिलब्धियों का 50% या सामान्य दर से देय कुटुंब पेंशन का दो गुणा ; इनमें से जो भी कम हो ; पर कुटुंब पेंशन मृत्यु की तिथि से दस वर्ष तक देय होगी । **परन्तु 7 वर्ष से कम की अर्हक सेवा पर बढ़ी दर से पेंशन देय नहीं है ।**

6.5. **कुटुंब पेंशन के लिये मृतक कर्मचारी के परिवार से निम्नलिखित को क्रमवार पात्र माना गया है :-**

(i) पत्नी या पति, क्रमश: पुरुष या महिला कर्मचारी की दशा में ।
(ii) पुत्र जिनकी आयु 25 वर्ष से कम हो या शारीरिक रुप से अक्षम या मानसिक दुर्बलता जो उन्हें जीविका उपार्जन के लिये अक्षम बनाती है (ऐसी स्थिति में उम्र की सीमा नहीं)- इसके लिए तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की संतुती आवश्यक है ।
(iii) अविवाहित, विधवा/ तलाकशुदा पुत्री (कर्मचारी व उसके पति/पत्नि के जीवन काल में उसपर आश्रित थी)
(iv) माता या पिता जो रेल सेवा के समय कर्मचारी पर आश्रित थे ।

उपरोक्त क्र.सं. (ii) से (iv) में उल्लेखित आश्रितों को उनकी मासिक आय रु. 3500/- से कम होने पर ही आश्रित/ कुटुम्ब पेंशन का पात्र माना जायेगा । (उपरोक्त मे रु0 3500/- से कम की आय होने पर ही उपरोक्त क्रमांक (ii) से (iv) को कर्मचारी के आश्रित माना जायेगा ।)

6.6. कुटुब पेंशन भोगी की आयु जब 80 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद अतिरिक्त कुटुंब पेंशन निम्नलिखित रीति से संदेय होगी -

कुटुंब पेंशन भोगी की आयु	**अतिरिक्त कुटुंब पेंशन**
80 वर्ष से अधिक व < 85 वर्ष	मूल कुटुंब पेन्शन का 20%
85 ,, < 90 वर्ष	,, 30%
90 ,, < 95 वर्ष	,, 40%
95 ,, < 100 वर्ष	,, 50%
100 वर्ष या अधिक	,, 100%

6.7. **अवधि जिसके लिये कुटुंब पेंशन देय होगी :-**

(i) मृतक कर्मचारी की विधवा या विधुर की दशा में उसकी मृत्यु की तिथि या पुनर्विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो ।

(ii) अविवाहित पुत्र की दशा में जब वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले या जब तक वह विवाहित न हो जाये या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरम्भ न कर दे, इन में जो भी पहले हो ।

(iii) अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री की दशा में जब तक उसका विवाह या पुनर्विवाह न हो जाये या जब तक वह अपनी जीविका उपार्जन आरम्भ न कर दे, इनमें से जो भी पहले हो,

(iv) माता-पिता या नि:शक्त सहोदर (भाई या बहन) की दशा में जो कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले पूर्णत: सरकारी सेवक पर आश्रित थे, उन्हे जीवन भर के लिये ।

(v) परन्तु पुनर्विवाह पर नि:संतान विधवा को कुटुंब पेंशन जारी रहेगी अगर उसकी अन्य स्त्रोतों से आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम और उस पर देय मंहगाई राहत से कम है तो ।

6.8. साथ ही मृतक कर्मचारी का पुत्र या पुत्री जो मानसिक विकार या नि:शक्तता से ग्रस्त है, जिसमें मानसिक मंदन या शारीरिक अपंगता या नि:शक्तता सम्मिलित है जिससे उसको 25 वर्ष की आयु के बाद भी जीविका उपार्जन करने में असमर्थता है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुंब पेंशन अजीवन जारी रहेगी ।

7. पेंशन का सांराशिकरण (Commutation) :-

सेवानिवृत्ति पर रेल कर्मचारी को विकल्प के आधार पर पेंशन का सांराशिकरण करने की सुविधा प्राप्त है । यह सांराशिकरण पेंशन का अधिकतम 40% तक कर्मचारी की इच्छानुसार स्वीकृत किया जा सकता है । इस तरह पेंशन के एक हिस्से के रुप में कर्मचारी को इस विकल्प से एक-मुश्त राशि प्राप्त हो जाती है । यह लाभ सेवानिवृत्ति के समय से ही या बाद में भी लिया जा सकता है । अगर सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्दर पेंशन सांराशिकरण का विकल्प लिया जाता है तो चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं होती । अन्यथा उसे चिकित्सा जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा ।

इस एक- मुश्त देय राशि की गणना नीचे बताये गये बीमांकिक आधार पर तैयार चार्ट से की जाती है । कर्मचारी की मासिक पेंशन की सांराशिकरण की गई राशि के बराबर राशि मूल पेंशन से कम कर दी जाती है । यह सांराशिकरण की राशि 15 वर्ष बाद पुन: पेंशन में जोड़ दी जाती है । यह नोट करने की बात है कि मंहगाई राहत पेंशन की पूरी राशि पर दी जाती है और सांराशिकरण की गई राशि इसकी गणना मे घटायी नही जाती । पेंशन सांराशिकरण के गुणांक को जानने के लिये निम्न तालिका का उपयोग करना होगा :-

अगले जन्मदिन पर आयु	पेंशन सांराशिकरण गुणांक	अगले जन्मदिन पर आयु	पेंशन सांराशिकरण गुणांक	अगले जन्मदिन पर आयु	पेंशन सांराशिकरण गुणांक
20	9.188	**41**	9.075	**62**	8.093
21	9.187	**42**	9.059	**63**	7.982
22	9.186	**43**	9.040	**64**	7.862
23	9.185	**44**	9.019	**65**	7.731
24	9.184	**45**	8.996	**66**	7.591
25	9.183	**46**	8.971	**67**	7.431
26	9.182	**47**	8.943	**68**	7.262
27	9.180	**48**	8.913	**69**	7.083
28	9.178	**49**	8.881	**70**	6.897
29	9.176	**50**	8.846	**71**	6.763
30	9.173	**51**	8.808	**72**	6.562
31	9.169	**52**	8.768	**73**	6.296
32	9.164	**53**	8.724	**74**	6.085
33	9.159	**54**	8.678	**75**	5.872
34	9.152	**55**	8.627	**76**	5.657
35	9.145	**56**	8.572	**77**	5.443
36	9.136	**57**	8.512	**78**	5.229
37	9.126	**58**	8.446	**79**	5.018
38	9.116	**59**	8.371	**80**	4.812
39	9.103	**60**	8.287	**81**	4.611
40	9.090	**61**	8.194		

7.3. **पेंशन की सांराशिकरण राशि की गणना का सूत्रः-**

पेंशन के सांराशिकरण की एक-मुश्त राशि = कुल पेंशन का विकल्पानुसार सांराशिकरण प्रतिशत X सांराशिकरण गुणांक X 12
अत: अगर देय पेन्शन 25000 है, व कर्मचारी सेवानिवृत्ति (60 वर्ष पूर्ण होने पर) के समय ही पेंशन का सांराशिकरण का अधिकतम 40% करना चाहता है तो
पेंशन के सांराशिकरण की एक-मुश्त राशि = 25000 का 40% X 8.194 X 12
= 10,000X8.194X12= रु. 983280 मात्र

7.4. अगर सेवानिवृत्ति के समय या सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय या अदालती कार्यवाही जारी है तो पेंशन का सांराशिकरण नहीं किया जा सकता ।

8. **मृत्यु -सह- सेवा निवृत्ति उपदान (DCRG) :-**

8.1. यह अनुदान कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर एक-मुश्त राशि के रुप में दिया जाता है । कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यह एक-मुश्त अनुदान उसके परिवार के नामित सदस्य को देय होता है ।

8.2. **सेवानिवृत्ति उपदान :-**

8.2.1. अगर अर्हक सेवा 5 वर्षों से अधिक है तो यह लाभ कर्मचारी को सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त होगा । उपदान की गणना हेतु अर्हक सेवा के प्रत्येक 6 माह के लिये एक चौथाई वेतन के बराबर राशि देय होती है । यह एक-मुश्त अनुदान अधिकतम रु0 10 लाख या 16½ माह की कुल वेतन की राशि के बराबर, इनमे से जो भी कम हो, कर्मचारी को प्राप्त होगा ।

8.2.2. उपदान राशि = $\frac{\text{(मूल वेतन + पदक्रम वेतन + मंहगाई भत्ता) X अर्हक सेवा (छः माह की संख्या में)}}{4}$

(i) मूल वेतन - 26000 पदक्रम वेतन -4200 मंहगाई भत्ता - रु0 35938 (119%) तथा 33 वर्ष की अर्हक सेवा (छःमाह की संख्या में)

उपदान राशि = $\frac{(26000+4200+35938)X\ 66}{4}$ **= रु0 10,91,277 मात्र**

देय सेवानिवृत्ति उपदान राशि = रु0 10 लाख (अधिकतम)

8.3. **मृत्यु -उपदान :-**

8.3.1. यह एक मुश्त उपदान रेलवे सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में देय होता है । इसका भुगतान कर्मचारी द्वारा उसके परिवार के नामित सदस्य या सदस्यों को किया जाता है । एक से अधिक सदस्य के नामांकन देने पर कर्मचारी को प्रत्येक सदस्य के हिस्से को भी पूर्व- निर्धारित करना होता है । कर्मचारी अपने परिवार के बाहर के सदस्य को इस भुगतान के लिये नामित नहीं कर सकता। मृत्यु उपदान के भुगतान के लिये कर्मचारी के 'परिवार' में उसके निम्नलिखित संबंधियों को क्रमश: शामिल किया जा सकता है :-

(i) पत्नी या पति
(ii) पुत्र/ वैध दत्तक पुत्र
(iii) अविवाहित या विधवा पुत्री
(iv) पिता
(v) माता

(vi) भाई जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो
(vii) अविवाहित या विधवा बहन
(viii) स्वर्गीय पुत्र के बच्चे ।

नोट : अगर कर्मचारी ने कोई नामांकन नही भरा है तो भुगतान हेतु उपरोक्त सूची के क्रमानुसार वरीयता दी जायेगी ।

8.3.2. मृत्यु उपदान का देय भुगतान कर्मचारी द्वारा मृत्यु पूर्व तक की गई अर्हक सेवा के आधार पर इस तरह तय होगा :-

क्र.सं.	अर्हक सेवा	मृत्यु - उपदान
(i)	एक वर्ष से कम	वेतन का दुगना (X2)
(ii)	एक वर्ष या अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम	वेतन का छह - गुणा (X6)
(iii)	पांच वर्ष या अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम	वेतन का बारह- गुणा (X12)
(iv)	20 वर्ष या अधिक	सेवानिवृत्ति - उपदान का दुगना नोट : (परन्तु किसी भी स्थिति में उपरोक्त भुगतान की अधिकतम सीमा रु. 10 लाख ही रहेगी ।)

8.3.3. अगर मृत्यु - सह- सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान में तीन माह से अधिक का विलंब केवल प्रशासकीय कारणों से होता है तो भुगतान राशि पर ब्याज देय होता है । यह ब्याज जिस दिन से भुगतान देय है उसके तीन माह बाद से वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होगा । महाप्रबंधक इस ब्याज की राशि के भुगतान की स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी हैं ।

8.4. कर्मचारी पर कोई भी सरकारी बकाया राशि की वसूली देय मृत्यु- सह- सेवा उपदान से काटी जा सकती है । अगर किसी कारण यह कटौती नही हुई है तो भविष्य मे यह कटौती पेंशन के मंहगाई- राहत की राशि में से की जा सकती है । इसके लिये पेंशन भोगी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है ।

9. समूह बीमा योजना (Group Insurance Scheme) :-

9.1. रेल कर्मचारियों के लिये यह योजना 01.01.1982 से लागू की गई । यह योजना सभी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जो कि 01.11.1980 के बाद रेलवे की सेवा में आये हैं । कर्मचारी के सेवा में आने की तिथि के बाद आने वाली 01 जनवरी से उसे इस योजना का सदस्य बनाया जाता है । इसका पूर्ण अंशदान कर्मचारी को स्वयं देना होता है । वर्तमान में अंशदान व बीमा की राशि विभिन्न सेवा समूहों के लिये इस प्रकार है -

समूह	प्रतिमाह अंशदान (रुपया में)	उपलब्ध बीमा (रुपया में)
'क '	120	रु0 1,20,000
'ख '	60	रु0 60,000
'ग '	30	रु0 30,000
'घ '	15	रु0 15,000 *

* इस योजना के लिये 01 जनवरी 2011 से सभी 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों को 'ग' श्रेणी में माना गया है तथा तदनुसार ही उक्त राशि काटी जा रही है ।

9.2. कर्मचारी के अंशदान का 30% हिस्सा बीमा के प्रीमियम के रुप में व 70% बचत खाता में जमा किया जाता है । कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर बचत खाते में जमा राशि ब्याज समेत वापस की जाती है ।

9.3. कर्मचारी की मृत्यु (सेवा के दौरान) की स्थिति में बीमा की राशि तथा बचत खाते में जमा राशि (ब्याज सहित) का भुगतान देय होता है । यह भुगतान कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाता है । अगर कर्मचारी ने किसी को नामित नहीं किया है तो जो भी उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उसे प्राप्त होगा ।

9.4. सेवा के दौरान कर्मचारी के लापता होने पर परिवार के सदस्यों को पुलिस में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करा कर प्रशासन को देना होगा । जब तक लापता कर्मचारी की मृत्यु का पुख्ता प्रमाण या लापता होने के 7 वर्ष जो भी पहले से समूह बीमा योजना से संबंधित भुगतान नामित व्यक्ति को हो सकेगा । उपरोक्त अवधि के पहले अगर सेवानिवृत्ति की तिथि भी आती है तो भी भुगतान नहीं होगाा जब तक कि 7 वर्ष का समय पूर्ण नहीं होता या मृत्यु का प्रमाण नहीं मिलता ।

9.5. इस भुगतान राशि में से कोई कटौती नही की जा सकती है । सिवाय किसी वित्तीय संस्था से घर बनाने के लिये, लिये गये ऋण की बकाया राशि के जो कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय बकाया थी ।

9.6. यह भुगतान सेवानिवृत्ति लाभ नहीं है अत: इसका भुगतान रोका नहीं जा सकता । देरी से भुगतान की स्थिति में ब्याज देय नहीं होता ।

10. राज्य रेलवे भविष्य निधि (SRPF):-

10.1. भारतीय रेल के सभी कर्मचारी (कुछ अपवादों को छोड़कर) जो 01 जनवरी 2004 के पूर्व नियुक्त हुये हैं, उनके लिए राज्य रेलवे भविष्य निधि (SRPF) की सदस्यता अनिवार्य है । इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन और ग्रेड वेतन का 8,1/3% या 1/12 हिस्सा प्रति माह वेतन से कटौती के रुप में जमा करता है । भविष्य निधि की यह कटौती सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व अनिवार्य रुप से बंद कर दी जाती है ।

10.2. सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों का नामांकन करना हितकर होता है । अन्यथा उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले को ही जमा राशि का भुगतान किया जाता है ।

10.3. सभी प्रकार की सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि के खाते में जमा पूरी राशि कर्मचारी को प्राप्त हो जाती है ।

10.4. भविष्य निधि की राशि से अन्तिम संस्कार अग्रिम के रुप में दी गयी राशि के अलावा अन्य कोई कटौती नहीं की जा सकती ।

10.5. भविष्य निधि में जमा रकम पर ब्याज के अलावा और कोई भी लाभ या बोनस नहीं दिया जाता है ।

10.6. कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में डिपाजिट लिंक बीमा योजना के अन्तर्गत बोनस राशि नियमानुसार देय है । यदि किसी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में कुल राशि उसकी मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी समय निश्चित स्तर से कम नहीं हुई है तो वेतनमान के अनुसार 6000 रुपये से 60000 रुपये तक की राशि का भुगतान इसलाभ के अनुसार किया जाता है ।

11. अवकाश नकदीकरण:-

11.1. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति पर उसे अर्जित अवकाश के बदले एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है । मृत्यु की स्थिति में यह राशि कर्मचारी द्वारा नामित परिवार के आश्रित सदस्य या सदस्यों को देय होती है ।

11.2. इस सुविधा के अन्तर्गत् (कर्मचारी के अवकाश खाते में जमा अधिकतम 300 दिन) के अर्जित अवकाश का भुगतान किया जा सकता है । भुगतान की राशि की गणना, कर्मचारी की अंतिम मूल वेतन, पदक्रम वेतन तथा लागू मंहगाई भत्ता दर को शामिल कर, की जाती है ।

11.3. अगर सेवानिवृत्ति/ सवेच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के दिन कर्मचारी की कुल बाकी अर्जित छुट्टियां 300 दिन से कम है तो जितने दिन 300 से कम है उतने ही दिन की अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी (LHAP) अगर बाकी है तो शामिल की जाती है । परन्तु अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर उतने दिन का जमा के अनुसार आधा औसत वेतन ही

जोड़ा जाता है । इस स्थिति में रुपान्तरित छुट्टी (commuted leave) का नियम लागू नहीं होता । अर्थात यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में 280 दिन अर्जित अवकाश एवं 200 दिन अर्धवेतन अवकाश शेष है तो उसे 280 दिन अर्जित अवकाश का पूर्ण वेतन तथा 300- 280 = 20 दिन का आधा वेतन देय होगा ।

11.4. रेल सेवा से त्यागपत्र देने पर कुल अर्जित छुट्टियों की संख्या का 50% (अधिकतम 150 दिन) का नकदीकरण स्वीकार्य होता है ।

12. समग्र ट्रांसफर अनुदान (Composite Transfer Grant) :-

12.1. रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर उसे 20 कि0मी0 से अधिक दूरी वाले स्थान पर अपने घर का सामान ले जाने के लिये जहां पर रहने का उसका विचार है, सरकार द्वारा किट- पास, सेवानिवृत्ति पास तथा समग्र ट्रांसफर अनुदान दिया जाता है । यह अनुदान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन व ग्रेड वेतन के बराबर होता है । अगर कर्मचारी किट पास नही लेता है तो उसे निम्न दरों से भुगतान देय होता है -

ग्रेड वेतन	रोड द्वारा सामान ले जाने की दर (रु0 प्रति कि.मी.)
रु0 4200 या अधिक या एच.ए.जी व ऊपर	18 रु0 प्रति कि.मी. (0.030 प्रति किलो प्रति कि.मी.
रु0 2800	9 रु0 प्रति कि.मी. (रु0 0.31 प्रति किलो प्रति कि.मी.
< रु0 2800	4.60 रु0 प्रति कि.मी. (रु0 0.31 प्रति किलो प्रति कि.मी.

उपरोक्त दरे 50% मंहगाई भत्ता बढ़ने पर 25% से अपने आप बढ़ जायेंगी ।

12.2. अगर सेवानिवृत्ति पर सेटल्मेन्ट का स्थान अंतिम तैनाती के स्थान से 20 कि.मी. से कम है तो कर्मचारी को समग्र ट्रांसफर अनुदान के रुप में मूल वेतन व ग्रेड वेतन का 33% हिस्सा ही मिलेगा ।

13. स्वास्थ्य - सुविधायें :-

13.1. रेल कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना 1997 के अंतर्गत सभी रेलवे कर्मचारी इस सुविधा को सेवा निवृत्ति के 3 माह पूर्व विकल्प देकर अपना सकते है । इसके लिये उन्हे सेवानिवृत्ति के समय का एक माह का मूलवेतन (ग्रेड पे सहित) देना होगाा या इसकी कटौती मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (DCRG) की देय राशि से भी की जा सकती है । इस योजना में शामिल हो कर सेवानिवृत्त कर्मचारी व उसका आश्रित परिवार (पास नियम के सामान) वह सभी स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त करता है जो उसे सेवा के दौरान प्राप्त थी । कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में आश्रित परिवार भी इस योजना में शामिल हो सकता है ।

13.2. वर्तमान में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों/ मृतक कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों पर यह योजना अनिवार्य रुप से लागू है । तथा मार्च 2009 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्होनें यह सुविधा नहीं ली है वे भी वर्तमान में प्राप्त हो रही पेंशन राशि की दुगुनी राशि जमा कर इस योजना के सदस्य बन सकते हैं ।

13.3. इस योजना मे शामिल होने के लिये 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है । कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति मे यह शर्त आवश्यक नहीं है । सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU) में तकनीकी त्यागपत्र देकर जाने वाले रेलवे कर्मचारी भी इस स्वास्थ्य योजना मे शामिल हो सकते हैं ।

13.4. इस योजना मे शामिल होकर सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसका परिवार बीमारी का उपचार, जांच सहित अंतरंग (इन्डोर) व बहिरंग (आउटडोर) सुविधायें, एम्बुलेंस , मेडिकल पास आदि सभी सुविधायें प्राप्त करता है ।

13.5. विवाहित पुत्रियों को प्रथम दो गर्भावस्था के दौर मे रियायत दर पर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध होगी । इसके लिये विशेष तौर पर मेडिकल पहचान पत्र विवाहित पुत्री के नाम से जारी होगें ।

13.6. रेलवे पेंशनधारी या कुटुंब पेंशनधारी अगर रेलवे अस्पताल/ स्वास्थ्य केन्द्र से 2.5 कि.मी. से अधिक दूरी पर रह रहा हो तथा बहिरग (OPD) की सुविधा नहीं होने का विकल्प देता है तो वह **नियत चिकित्सा भत्ता** के रुप में रु0 500 (समय-समय पर परिवर्तनीय) प्रतिमाह प्राप्त करने का अधिकारी है ।

14. सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के बाद स्वीकार्य पास -

14.1. बसने के लिये पास (Settlement Pass)

रेलवे कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर या कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार को पास स्वीकार्य होता है जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी या मृत्यु के मामले में उसका आश्रित परिवार जहां बसने का निश्चय करते है। यह पास सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर लिया जा सकता है । यह पास कर्मचारी को सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के समय जिस क्लास का स्वीकार्य था उसी क्लास का पास दिया जायेगा ।

14.2. विशेष पास (Special Pass)

सेवानिवृत्ति या मृत्यु बाद के लाभ के अन्तर्गत भुगतान के लिये कर्मचारी को या मृत्यु की स्थिति में परिवार के नामित सदस्य/सदस्यों को बुलाया जाता है तो उन्हें एक सेट (आने- जाने के लिये) विशेष पास स्वीकार्य होता है ।

14.3. मानार्थ पास -

सेवानिवृत्ति/ स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति पर कर्मचारी निम्न आधार पर मानार्थ पास का हकदार होता है :-

समूह	अर्हक सेवा की अवधि	प्रति वर्ष देय मानार्थ पास
अध्यक्ष एवं सदस्य रेलवे बोर्ड	--	5 सेट
क एवं ख (A&B)	20 वर्ष या अधिक	3 सेट
ग (C)	20 वर्ष या अधिक	2 सेट
घ (D)	20 वर्ष या अधिक	1 सेट
सभी वर्ग	20 वर्ष से कम	कुछ नहीं

14.4. विधवा पास-

रेलवे कर्मचारी की विधवा, कर्मचारी की मृत्योपरान्त विधवा पास की हकदार होती है । विधवा पास की स्वीकार्य संख्या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार्य मानार्थ पास की संख्या का आधा होता है ।

अगर कर्मचारी की एक से ज्यादा विधवा हैं तो उन्हें वर्ष मे बारी- बारी से मानार्थ पास दिये जायेगें ।

14.5. मानार्थ पास जारी करने की महत्वपूर्ण शर्तें :-

(i) मानार्थ पास स्वयं पत्नी या पति, बच्चे एवं विधवा आश्रित मां को दिया जा सकता है ।

(ii) कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय जिस क्लास के पास का हकदार था उसी क्लास का मानार्थ पास देय होगा ।

(iii) कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal)/ पदच्युति (Removal) पर मानार्थ पास देय नही होगें । परन्तु 26.10.2005 को या उसके बाद ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें पदच्युत (Remove) किया गया है तथा जिन्हें निर्वाह भत्ता (Compassionate allowance) स्वीकृत किया गया है, उन्हें ये मानार्थ पास निर्वाह भत्ता की स्वीकृति की तिथि से देय होगें ।

(iv) सेवानिवृत्ति कर्मचारी की पूरी पेंशन व ग्रेच्युटि पूर्ण रुप से काट ली गई हो तो मानार्थ पास देय नहीं ।

(v) कर्मचारी जिस वर्ष में सेवानिवृत्त हुआ है उस वर्ष की शेष अवधि में वह एक-तरफा यात्रा पास का हकदार होगा जो कि सेवानिवृत्ति के समय उस वर्ष के एकाउन्ट में शेष थे । परन्तु यह संख्या कर्मचारी को स्वीकार्य मानार्थ पास की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(vi) अगर पति और पत्नि दोनों रेलवे से सेवानिवृत हैं तो उनके नाम एक-दूसरे के मानार्थ पास में शामिल किये जा सकते हैं ।

(vii) नीलगिरी रेलवे पर अप्रेल से जून तक मानार्थ पास से यात्रा नहीं की जा सकती ।

(viii) सेवानिवृत्ति के बाद गोद लिये जाने वाले बच्चों को मानार्थ पास में पर्याप्त सबूत होने पर शामिल किया जा सकता है ।

(ix) सेवानिवृत्ति कर्मचारी के अनुरोध पर मानार्थ पास जारी करने वाले आफिस द्वारा मानार्थ पास रेलवे के खर्च पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जा सकता है ।

(x) प्रथम श्रेणी-ए/ प्रथम श्रेणी के पास पर अनुरक्षी (Escort) को उसी श्रेणी मे यात्रा की अनुमति एक सेट मानार्थ पास के त्यागने पर बाकी स्वीकार्य मानार्थ पास की संख्याओं में दी जा सकती है । अत: अगर कर्मचारी 3 सेट मानार्थ पास का हकदार है तो वह एक सेट त्यागकर बाकी के दो सेट पर Escort को अपनी क्लास मे साथ में ले जा सकता है ।

15. सतत परिचर भत्ता (Constant Attendant Allowance) :-

15.1. ऐसे पेंशनभोगी, जो 100% नि:शक्तता (जब वह प्रतिदिन के कार्य के लिये पूर्णत: अन्य पर निर्भर करता है) पर सेवानिवृत्ति हुये हैं के लिये केन्द्रीय सिविल सेवायें (असाधारण पेंशन) नियमावली 1993 के अन्तर्गत उन्हें नि:शक्तता पेंशन के अतिरिक्त 3000/- रुपये प्रतिमाह का सतत परिचर भत्ता दिया जाता है । इस पर मंहगाई राहत देय नहीं है ।

15.2. यह सतत परिचर भत्ता उस अवधि के लिये देय नही होगा जिस दौरान पेंशनभोगी किसी सरकारी संस्था या अस्पताल मे अंतरंग रोगी रहा हो ।

16. अंतिम संस्कार अग्रिम (Funeral Advance) :-

16.1. सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तुरन्त सहायता हेतु 'अंतिम संस्कार अग्रिम' का भुगतान किया जाता है । यह अग्रिम कर्मचारी के अंमित मूल वेतन व ग्रेड वेतन का तीन गुणा या 15000 (पन्द्रह हजार) रुपये जो भी कम हो देय होता है । इस अग्रिम के रुप में दी गई राशि को मृत्यु उपदान या भविष्यनिधि की देय भुगतान राशि से बाद मे काट ली जाती है ।

17. रेलवे अवकाश गृह (हाली डे होम्स)/ विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) :-

17.1. रेलवे अधिकारी या कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात क्रमश: विश्रामगृह या अवकाश गृह के उपयोग की सुविधा दी जाती है । सेवानिवृत्ति के बाद इनका उपयोग निर्धारित दैनिक शुल्क देकर किया जा सकता है ।

17.2. यह सुविधा तकनीकी त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी प्राप्त है जो रेलवे से भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में सेवा के लियें जाते हैं ।

17.3. रेलवे के विश्राम व अवकाश गृहों की सूची व उनके कंट्रोलिंग अधिकारियों की सूची indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है ।

17.4. अवकाश गृह/ विश्राम गृह के आवंटन में सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है ।

18. **गोल्ड प्लेटेड चांदी का मेडलः-**

18.1. सभी रेल कर्मचारियों को उनकी बहुमूल्य सेवा के लिये सेवानिवृत्ति के दिन एक गोल्ड प्लेटेड चांदी का मेडल प्रदान किया जाता है । यह मेडल 1.5. इंच व्यास का गोलाकार आकृति में लगभग 20 ग्राम चांदी (0.999 शुद्धता) का बना होता है । उस पर एक ओर भारतीय रेल का प्रतीक चिन्ह व दूसरी ओर जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उस संस्था का प्रतीक चिन्ह बना होता है । यह मेडल एक प्लास्टिक की पारदर्शी पैकिंग में दिया जाता है । यह मेडल रेलवे के खर्चे पर बनवाया जाता है ।

19. रेल आवास रोकने की सुविधा :-

रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अपने रेल आवास को (non-ear marked) चार माह के लिये सामान्य किराये की दर से अनुमति लेकर रोक सकता है । इसके पश्चात अगले 4 माह के लिये शिक्षा या चिकित्सा कारणो से सामान्य किराये की दुगुनी दर पर अनुमति लेकर रोक सकता है ।

कर्मचारी की मृत्यु की स्थति में उसके परिवार को रेलवे आवास 24 माह तक रोकने की अनुमति दी जा सकती है ।

यह सुविधा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी समान रुप से लागू होती है ।
उपरोक्त 4+4 माह के बाद रेल आवास रोकने की सुविधा किसी भी कारण से मान्य नहीं है । इस अवधि के पश्चात रेल आवास को अवैध कब्जा माना जायेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पेंशनभोगी द्वारा रेल आवास के कब्जे की स्थिति में मृत्यु- सह- सेवानिवृत्ति उपदान (DCRG) का भुगतान भी रेल आवास के खाली करने व बकाया देय बिल राशि के भुगतान होने तक रोक दिया जायेगा । इस दौरान कर्मचारी को No. dues certificate भी नहीं दिया जायेगा ।

पास नियम के अनुसार प्रत्येक एक माह के अवैध कब्जे (रेलवे आवास) के लिये एक सेट मानार्थ पास की कटौती की जाती है । पास की इस कटौती के लिये शासन द्वारा ' कारण- बताओं' नोटिस देना आवश्यक है ।

20. मृत्य उपरान्त आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति :-

20.1. सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या चिकित्सीय कारणो से समय से पहले सेवानिवृत्ति पर परिवार के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान है । यह अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के मुख्य आधार है :-

(i) जब कर्मचारी की मृत्यु ड्यूटी पर हो जाती है या ड्यूटी करते हुये (दुर्घटना आदि को स्थिति में) शारीरिक रुप से कार्य करने में अक्षम हो जाता है ।
(ii) सेवा के दौरान मृत्यु
(iii) जब कर्मचारी 7 वर्ष से अधिक की अवधि से लापता हो । इस स्थिति में सेवानिवृत्ति लाभ परिवार आश्रित को दिये गये हैं या नहीं, इसका विचार अनुकंपा आधारित नियुक्ति देने मे नहीं किया जायेगा ।

20.2. अगर पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी है तो केवल पिता की मृत्यु की स्थिति में ही उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती है ।

20.3. सामान्यत: अनुकम्पा आधारित नियुक्ति कर्मचारी के साथ घटना की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अन्दर हो जानी चाहिये । विशेष परिस्थितियों में महाप्रबंधक इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं ।

20.4. उपरोक्त नियुक्ति केवल कर्मचारी की पत्नी/ पति तथा उसके स्वीकार नहीं करने की स्थिति में उसके सिफारिश/ संस्तुती पर (परिवार के आश्रितों में से एक को)दी जा सकती है ।

21. **सेवानिवृत्ति के लाभों के सूत्र व गणना के नमूने :-**

क्र.स.	लाभ	सूत्र	उदाहरण	
			1	**2**
			सेवानिवृत्ति आयु- **60 वर्ष** अर्हक सेवा - **33 वर्ष** अंतिम मूल वेतन + पदक्रम वेतन **= 26000+4200 = 30200** मंहगाई भत्ता दर **= 119%** पेंशन का सांराशिकरण **= 40%** अर्जित अवकाश **= 300 दिन**	सेवानिवृत्ति आयु - **60 वर्ष** अर्हक सेवा - **25 वर्ष** अंतिम मूल वेतन + पदक्रम वेतन **= 79000** मंहगाई भत्ता दर **= 119%** पेंशन का सांराशिकरण **= 40%** अर्जित अवकाश **= 300 दिन**
1.	**पेंशन**	अंतिम 10 माह के औसत मूल वेतन का 50% या अंतिम मूलवेतन का 50% (इनमें से जो भी अधिक हो) **न्यूनतम पेंशन =3500 रु.**	30200 का 50% देय मूल पेंशन = **15100 रु.**	79000 का 50% देय मूल पेंशन = **39500 रु.**
2.	**मंहगाई राहत**	पेंशन पर वर्तमान में लागू मंहगाई राहत की राशि	15100 X 119% देय मंहगाई राहत **= 17969 रु.**	39500X 119% देय मंहगाई राहत **= 47005 रु.**
3.	**पेंशन का सांराशिकरण (विकल्पानुसार)**	पेन्शन का सांराशिकरण का प्रतिशत X सांराशिकरण गुणांक (चार्ट से आयु के आधार पर) X 12	(15100 X40%)X 8. 194 X 12 = 6040X 8.194X12 देय भुगतान **= 593901 रु.**	(39500X 40%)X8.194X12 = 15800X 8.194X 12 देय भुगतान **= 1553582 रु.**
4.	**कुल देय पेंशन**	(पेन्शन - पेन्शन का सांराशिकरण मूल्य) + मंहगाई राहत	(15100- 6040)= 9060 + महगांई राहत रु. 17969 देय पेंशन **= 27029 रु.**	(39500- 15800) = 23700 + महगांई राहत रु. 47005 देय पेंशन **= 70705 रु.**
5.	**सेवानिवृत्ति उपदान**	सेवानिवृत्ति उपदान = (अंतिम मूल वेतन+पदक्रम वेतन+ मंहगाई भत्ता)X पूर्ण अर्हक सेवा (छ: माह की संख्या में)/4 **अधिकतम उपदान = 10 लाख**	(26000+ 4200+ 35938)X 66 / 4 = 1091277 रु. देय सेवानिवृत्ति उपदान = **10 लाख रु.** (अधिकतम सीमा) 2600+4200+35938(DA) =66138 X 33/2	(79000+ 94010)X50 / 4 = 2162625 रु. देय सेवा निवृत्ति उपदान = **10 लाख रु.** (अधिकतम सीमा)
6.	**मृत्यु उपदान**	मृत्यु उपदान = (अंतिम मूल वेतन + पदक्रम वेतन+ मंहगाई भत्ता)X पूर्ण अर्हक सेवा (छ: माह की संख्या में)/ 2 (अधिकतम = **10 लाख रु.**	(26000+4200+35938)X66 / 2 = 2182554 देय मृत्यु उपदान = **10 लाख रु.** (अधिकतम सीमा)	(79000+ 94010)X 25X2 / 2 = 4325250 रु. देय मृत्यु उपदान = **10 लाख रु.** (अधिकतम सीमा)
7.	**अवकाश नकदीकरण**	(अंतिम मूल वेतन+ पदक्रम वेतन+ मंहगाई भत्ता) X अर्जित अवकाश की संख्या (अधिकतम 300 दिन)/30	(26000+ 4200+ 34938)X 300/30 = 66138X 300 / 30 **= 661380 रु. (कुल देय)**	(79000+ 94010) X 300/30 = 173010 X 300/30 **= 1730100 रु. (कुल देय)**

8.	**सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद पूर्वावस्था पेन्शन की प्राप्ति (पेंशन के सांराशिकरण के विकल्प लेने पर**	सांराशिकरण के बाद पेंशन + सांराशिकरण का मूल्य	9060+6040 = 15100	23700+15800 = 39500
9.	**80 वर्ष बाद बढ्ढी हुई पेंशन**	पेन्शन+ पेन्शन का 20%	15100+ 15100 का 20% = 15100+ 3020 **= 18120 रु. (देय पेन्शन)**	39500 + 39500 का 20% = 39500 + 7900 **= 47400 रु. (देय पेन्शन)**
	90 वर्ष बाद बढ्ढी हुई पेंशन	पेन्शन + पेन्शन का 40%	15100+ 15100 का 40% = 15100 + 6040 **= 21140 रु. (देय पेन्शन)**	39500+ 39500 का 40% = 39500+ 15800 **= 55300 रु. (देय पेन्शन)**
	100 वर्ष पेंशन बढ्ढी हुई पेंशन	पेन्शन + पेन्शन का 100%	15100+ 15100 **= 30200 रु. (देय पेन्शन)**	39500+ 39500 **= 79000 रु. (देय पेन्शन)**
10.	**सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन**	**बढ्ढी हुई दर पर (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के तारीख से केवल सात वर्ष तक)** सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन का 50% + मंहगाई राहत **कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के 7 वर्ष बाद से** सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन का 30% + मंहगाई राहत **(न्यूनतम- 3500 रु.** **अधिकतम - 27000 रु.**	30200 X 50% + मंहगाई भत्ता = 15100 + 15100 X 119% =15100 + 17969 =33069 रू मात्र 30200X 30% + मंहगाई राहत = 9060 + 9060 X119% = 9060 + 10782 **= 19842 रु.**	79000 X 50% + मंहगाई दर = 39500 + 39500 X 119% =39500 + 47005 = 86505 रू मात्र 79000X 30% + मंहगाई भत्ता 23700+ 23700 का 119% = 23700+ 28203 = 51903 **देय कुटुंब पेन्शन = 51903 रू**
	सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर कुटुंब पेंशन	- **<u>पहले दस वर्ष</u>** = सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन का 50% + मंहगाई राहत **<u>दस वर्ष बाद -</u>** सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन का 30% + मंहगांई राहत	**<u>पहले दस वर्ष</u>** = 30200X 50% + मंहगाई राहत = 15100+ 15100X119% = 15100+ 17969 रु. =33069 रु. मात्र **दस वर्ष बाद =** 30200X 30% + मंहगाई राहत = 9060 + 9060 X119% = 9060 + 10782 **= 19842 रु.**	**<u>पहले दस वर्ष</u>** 79000X 50%+ मंहगाई राहत = 39500+ 34500 का 119% = 39500+ 47005 = 86505 रु. मात्र **<u>दस वर्ष बाद</u>** 79000X 30% + मंहगाई भत्ता 23700+ 23700 का 119% = 23700+ 28203 = 51903 **देय कुटुंब पेन्शन = 51903 रू**

22. **सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा आवश्यक तैयारियां व जांच बिंदु तथा अन्य निर्देश :-**

22.1. **सेवानिवृत्ति के समय मांगी जाने वाली जनकारियॉं :-**

(i) स्थायी निवास का स्थान व पता
(ii) आधार नम्बर (मय पति/ पत्नी एवं परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का)
(iii) पैन नम्बर (PAN)
(iv) राष्ट्रीयकृत बैंक/ पोस्ट आफिस का विवरण जहां से आप अपनी पेन्शन लेना चाहते हैं ।
(v) बचत खाता नम्बर/ ब्रांच का पता/ IFSC कोड/ MICR
(vi) मानार्थ पास व सवास्थ्य सुविधा हेतु परिवार के आश्रितों का विवरण : नाम, जन्म तिथि, पहचान चिन्ह
(vii) कुटुंब पेन्शन हेतु नामांकन
(viii) छाया चित्र - स्वयं - 05
a. स्वयं व पत्नि/ या पति (संयुक्त) - 10
b. पत्नी या पति (अकेले) -04
c. अन्य आश्रित - प्रत्येक 2-2
d. जो RELHS के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा के पात्र हैं उन सभी का कर्मचारी तथा पत्नी/ पति सहित संयुक्त फोटो- 2 सेट

22.2. आपका बचत खाता पत्नी या पति के नाम के साथ संयुक्त रुप से पेन्शन के भुगतान के लिये खोला जा सकता है । बशर्ते कि उनका नामांकन कुटुंब पेन्शन के लिये किया गया हो ।

22.3. सेवा निवृत्ति के समय मुख्य जांच बिंदु :
(a) भविष्य निधि के लेखा-जोखा की जांच
(b) छुट्टियों का लेखा- जोखा : सभी प्रविष्टियों की संतुलित जांच
(c) सेवा पंजिका की उपलब्धता व तथ्यों की जांच
(d) निलंबन की अवधि का नियमतिकरण
(e) सेवा मे व्यवधान (Break In Service) का नियमतिकरण
(f) सरकारी आवास को खाली करना
(g) सभी लिए गये ऋण व अग्रिम राशियों का ब्याज सहित पूर्व भुगतान
(h) कार्ड पास/ मेटल पास का अभ्यर्पण (Surrender)
(i) अनुशासन और अपील के अन्तर्गत जारी केसों का निपटारा
(j) सी.यू.जी. (CUG) सिम का जमा करना तथा बिल राशि शेष की कटौती
(k) लैप टाप/ मोबाइल आदि से संबंधित अदेय प्रमाण पत्र (No dues)
(l) पेन्शन एरियर के लिये आजीवन नामांकन
(m) वाणिज्य डेबिट यदि कोई हो की कटौती

22.4. पेन्शन भुगतान आदेश (PPO) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसे आजीवन सुरक्षित रखें ।

22.5. **सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाले दस्तावेज :-**

(i) पेन्शन भुगतान आदेश (PPO)
(ii) सेवा प्रमाण- पत्र (Service Certificate)
(iii) पहचान पत्र
(iv) मानार्थ पास के लिये पहचान पत्र (आश्रितों सहित)

(v) स्वास्थ्य सुविधा के लिये पहचान- पत्र (आश्रितों सहित)
(vi) गणना शीट (देय भुगतान के बारे में)

22.6. प्रतिवर्ष 15 जून तथा 15 दिसम्बर को (अवकाश होने की स्थिति मे अगला कार्य दिवस) पेंशन अदालत का आयोजन प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय, मंडल एवं रेलवे कारखाना के स्तर पर किया जाता है । पेन्शनभोगी पेन्शन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिये अपनी समस्या लिखित में दे सकता है । इस संबंध में पेन्शनभोगी को लिखित में प्रतिवेदन संबंधित कार्मिक विभाग को दो माह पूर्व जमा करना होता है ।

22.7. **अनुभव :-**

22.7.1. भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत होने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये एक मंच दिया गया है जिसके जरिये वे अपनी सेवा अवधि के दौरान किये गये महत्वपूर्ण उपलब्धियों एवं अनुभवों का वर्णन कर सकते हैं । इस योजना का उद्देश्य अवकाश प्राप्त करने वालों को संतुष्टि व आत्म संतोष दिलाना तथा उनके अनुभव से अन्य कर्मचारियों को लाभ पहुँचाना है, साथ ही सरकार को भी सुझावों का एक डाटा बैंक तैयार करने में मदद मिलेगी ।

22.7.2. अत: सभी सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने अनुभव अवश्य ही लिखें जो कि 5000 शब्दों की सीमा में दिये जा सकते है ।

22.7.3. इसके लिये निम्नलिखित तरीका अपनायें :
अपने अनुभव व सुझावों को देने के लिये आप पेन्शन व पेन्शनभोगी कल्याण विभाग की वेबसाइट http://persmin.gov.in/Pension.asp पर जाकर 'Anubhav' पर क्लिक करें ।
(i) 'अनुभव' के होम पेज पर बायें हाथ पर दिये गये लिंक "Employee Outstanding work" पर क्लिक करें ।
(ii) अपने बारे मे मांगी गई जानकारी भरे और अपनी उपलब्धियों को लिखकर ; Submit पर क्लिक करें ।
(iii) उपरोक्त जानकारी के लिये निर्देश आपको फार्म के दाहिने तरफ मिलेंगें ।
(iv) आपका दिया हुआ लेख आपके विभाग द्वारा सत्यापित होने के बाद बेवसाइट पर प्रकाशित हो जायेगा ।

22.8. **डिजीटल- जीवन प्रमाण- पत्र :-**

22.8.1. पेन्शन भोगी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में पेन्शन वितरक एजेंसी (PDA) को अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है । पेन्शनभोगियों को इसमे आने वाली कठिनाइयों को देखते हुये भारत सरकार ने डिजिटल 'जीवन प्रमाण योजना' लागू की है जिसे रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिये लागू कर दिया है । पेन्शन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में मदद करने के लिये यह आधार संख्या से जुड़ी एक डिजीटल जीवन प्रमाणन प्रणाली है । इसके लिये आवश्यक है कि पेंशनभोगी अपने पेंशन भुगतान आदेश व पेन्शन खाते में अपनी आधार संख्या अवश्य दर्ज करायें ।

22.8.2. इस प्रणाली से पेन्शनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा ।
इसके लिये पेन्शनभोगी को अपने निकटतम जीवन प्रमाण केन्द्र पर जाना होगा । इन केन्द्रों का विवरण तथा योजना की पूर्ण जानकारी www.jeevanpramaan.gov.in पर उपलब्ध है । इन केन्द्रों पर जाकर पेन्शनभोगी अपना बायोमेट्रिक प्रमाणित कराकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं । डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलता पूर्वक जमा होने पर SMS से आपको पेन्शन वितरक एजेंसी से पावती प्राप्त हो जायेगी ।

22.8.3. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आप मोबाइल एप का भी घर बैठे सहारा ले सकते हैं बशर्ते आपके पास घर पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या आयरिस स्कैनिंग यंत्र हो । अन्यथा इस कार्य के लिये आप सी एस सी, एन आई सी केन्द्र, एन ई आई एल आई टी केन्द्र पर जाकर कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं ।

23. सेवानिवृत्ति पश्चात वित्तीय योजना व निवेश :-

23.1. सेवानिवृत्ति के पश्चात् मानना चाहिये कि अब आप अपना समय और मेहनत पैसा कमाने के लिये नहीं देगें । इसके लिये निश्चित रुप से आपकी वित्तीय योजनायें पहले से ही तय व सुदृढ़ होनी चाहिये ताकि जो आपको सेवानिवृत्ति पर आर्थिक स्वतंत्रता दिला सके । आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब है कि अब आप अपने सभी खर्च व जिम्मेदारियाँ, पहले के निवेश व उपलब्ध जमा पूंजी से प्राप्त होने वाली नियमित आय से (बिना अन्य कोई भी कार्य किये बिना) पूरा कर सकते है । सफलतम सेवा निवृत्ति वही मानी जानी चाहिये जो आपको आर्थिक रुप से स्वतंत्र बना सके ।

23.2. साधारणत: हमारी अपनी वित्तीय योजनायें होती ही नहीं या सफल नहीं होती जो सेवानिवृत्ति को सफल बनाये । अकसर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली कुल रकम उसके जीवन में की गई बचत आदि के रुप में एक बड़ी पूंजी होती है । सम्भवत: यह अंतिम अवसर होता है जबकि उसे इतनी बड़ी रकम एक साथ प्राप्त हो । आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त न होने पर यह रकम और भी महत्वपूर्ण हो जाती है । अब कर्मचारी की भावी आर्थिक जरुरतें इसी रकम से पूरी करनी होती है । इस स्थिति से निपटने के लिये प्राप्त रकम का सुनियोजित निवेश जो सोच- समझकर किया गया हो जरुरी है ।

23.3. इस सुनियोजित निवेश को अंतिम रुप देने के लिये हम विशेषज्ञों की मदद ले सकते है। इसके लिये सर्वोत्तम सलाहकार "प्रमाणित वित्तीय योजनकार" (Certified Financial Planner) उपलब्ध होते है जो उनकी निश्चित शुल्क लेकर अपनी सेवायें देते हैं । ये व्यक्ति किसी एक विशेष बैंक , म्युचुअल फंड या वित्तीय संस्था से जुड़े नहीं होते । अगर आप किसी विशेष वित्तीय संस्था से जुड़े ' वित्तीय योजनकारों की सलाह पर निवेश करते हैं तो यह घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि ये वित्तीय योजनाकार अपनी संस्था का व स्वयं का हित पहले देखते हैं । इनके पास निवेश के लिये सीमित योजनायें होंगी जो केवल उसी संस्था से जुड़ी होगी ।

23.4. इस विषय पर बहुत सारे लेख व किताबें भी उपलब्ध है । आपकी सामान्य जानकारी के लिये कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी युक्तियाँ (Tips) दी जा रही है जिन पर अधिकांश विशेषज्ञों की सहमति है :-

(i) सेवानिवृत्ति की योजना सेवा आरम्भ के पहले दिन से ही शुरु हो जाना चाहिये ।

(ii) नियमित आय शुरु होने पर प्रतिमाह सेवानिवृत्ति के बाद के लिये 10% बचत में लगाये व लम्बी अवधि के निवेश में लगाये व अन्य किसी मद के लिये इसे उपयोग में न लायें ।

(iii) सेवानिवृत्ति के बाद अपने संभावित मासिक (या वार्षिक) खर्च का अनुमान करिये । सेवानिवृत्ति के समय आपके वार्षिक खर्च का 20 गुणा रकम आपके पास हो । अगर आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारियां जैसे घर बनाना, बच्चों की शादी या पढ़ाई आदि तो इनकी गणना भी आपके मासिक/ वार्षिक खर्च में शामिल हो । सेवानिवृत्ति के बाद आपके खर्चों की मद बदल जायेंगी । जैसे, फैशन शापिंग, मनोरंजन बच्चों की पढ़ाई आदि । परन्तु स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, बढ़ जायेंगे । विदेश या लंबी यात्रायें बढ़ सकती है ।

(iv) सेवा निवृत्ति के पहले ही अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को पूरी कर लें या उनके लिये जरुरी पूंजी इकट्ठी कर चिन्हित कर दें ।

(v) आय बढ़ने के साथ अपनी बचत व निवेश में भी वृद्धि करें ।

(vi) आपके निवेश मे ' स्वास्थ्य बीमा अवश्य शामिल होना चाहिये ।

(vii) सेवानिवृत्ति नजदीक आते ही आपकी जीवन शैली में मितव्ययिता (economy) और आपके निवेश बुद्धिमत्ता पूर्ण हो ।

(viii) शेयर से संबंधी निवेश का प्रतिशत **100 - आपकी आयु** के सूत्र पर आधारित होना चाहिये । वैसे यह निर्णय हर व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होगा । सामान्यत: सेवानिवृत्ति पश्चात् शेयर मे निवेश 25-30% से अधिक न हो ।

(ix) सेवानिवृत्ति पश्चात आपात स्थितियों में अपनी जमा पूंजी को एकदम से पूरा खर्च करने से बचे । अपरिहार्य होने पर बाद में संभव हो तो उस खर्च की राशि की आपूर्ति भी करें ।

(x) अपनी वित्तीय योजना मे 7 से 10% तक की मुद्रास्फीति दर को अवश्य शामिल करें ।

(xi) अपने निवेश की लगातार निगरानी व समीक्षा करते रहें । जो भी रकम आपके पास 5 वर्ष या अधिक समय के लिए सुरक्षित हो तो उसे आप शेयर या अन्य निवेश में लगा सकते हैं जिन पर सामान्य से ज्यादा रिटर्न मिले क्योंकि इनमें जोखिम ज्यादा होता है।

(xii) बच्चों की पढ़ाई के लिये सेवानिवृत्ति में मिली रकम को पूरा खर्च न करे । समाज का वर्तमान परिवेश व आयकर नियमों को देखते हुये यह उचित होगा कि आप बच्चो की पढ़ाई के लिये ऋण लें और सेवानिवृत्ति के लिये बचत करें ।

(xiii) आपके निवेश इस तरह होने चाहिये कि आपको अकस्मात जरूरत पर छः (6) माह के खर्च के बराबर रकम तुरंत उपलब्ध हो जाये । इस निवेशित रकम को आप ' आपात कालीन निधि का नाम दे सकते है ।

(xiv) जरूरत पड़ने पर अपने घर को रिवर्स मोर्टगेज करने का विकल्प लाभदायक हो सकता है।

23.5 मुद्रास्फीति दर का प्रभाव इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपके पास आज 60 लाख रूपया है। आपका मासिक खर्च 40000 रू है। आपके निवेश पर 9% सालाना आय हो रही है तो इस स्थिति में 7.5% की मुद्रास्फीति दर होने पर आपकी पूरी पूँजी 13 वर्षों में समाप्त हो जायेगी।

23.6 इस तरह कहा जा सकता है कि सेवानिवृत्ति के बाद सुनहरे जीवन के लिए मददगार मदें निम्न हो सकती है जिन पर प्रत्येक को ध्यान देने की आवश्यकता है:-

- सुनियोजित रूप से सेवानिवृत्ति योजनाओं में निवेश ।
- भविष्य निधि ।
- पेंशन।
- रिवर्स मोर्टगेज (Reverse Mortgage)।
- किराया, रायल्टी आदि के रूप में निष्क्रिय आय।
- जमा पूँजी का सुनियोजित निवेश व इसका अच्छी तरह से प्रबंधन।

****